न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 105 / 2019

1. रंगलाल पुत्र श्री हीरा
2 अम्बाशंकर पुत्र श्री हीरा
3 कमला पत्नि रामलाल
4 कालू पुत्र श्रीराम
5 सांवरा पुत्र श्री रामलाल
6 मैना पुत्री श्री रामलाल
समस्त जाति गूर्जर निवासीगण कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

1. मोसम पुत्र श्री सुलेमान
2. चांद पुत्र श्री सुलेमान
3. इरफान पुत्र श्री सुलेमान
4. अयमरा पुत्र श्री सुलेमान
5. इशाक पुत्र श्री सुलेमान
6. इकबाल पुत्र श्री सुलेमान
7. इस्माईल पुत्र श्री सुलेमान
8. इकबाल पुत्र श्री मुंशी
9. पोन्टू पुत्र श्री इकबाल

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर **—अप्रार्थीगण**

वादपत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— श्री रामाअवतार मीणा वकील— प्रार्थीगण
श्री भंवरलाल शर्मा वकील— अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 6.12..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। वादवर्णित आराजी ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
446–402	2665	0.53 है0	चा01
	2666	0.48 है0	चाही उत्तम
	2667	0.36 है0	चाही उत्तम
	2672	0.24 है0	चाही उत्तम
	कुल किता 4	1.61 है0	

उपरोक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे एक मात्र प्रार्थीगण के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हैं प्रार्थीगण ही उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व अदा करते चले आ रहे हैं प्रार्थीगण क अलावा उपरोक्त आराजीयात मे किसी दीगर दीगर व्यक्ति का काई हक हिस्सा व अधिकार वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ही उक्त आराजीयात के एकमात्र मालिक व काबिज ह। अप्रार्थीगण की नियत बद है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजीयात पर जबरन विधि विरूद्ध रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और आये दिन प्रार्थीगण और प्रार्थीगण की पत्नि व परिवार जन से गाली गलोच करते आ रहे है तथा दिनांक 21.09.19 का प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात को हांक चौक खरार करने गये तो अप्रार्थीगण एकराय होगकर आये तथा प्रार्थीगण को एलानियॉ धमकी दी कि हम तुझे उक्त आराजीयात पर खरार नही करने देगे तथा धमकी दी कि तुम्हे उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर कब्जा करेगें। अतः अप्रार्थीगण स्वय उनके नोकर चाकर का ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे न ही प्रार्थीगण की आराजीयात पर जबरन कब्जा करे। अप्रार्थीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करे। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति हो। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री भंवरलाल शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब मे अप्रार्थीगण की और से बताया गया कि ग्राम कादेड़ा की उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात खसारा नं. 2665 व 2667 दिनांक 18.03.68 को अप्रार्थीगण के दादा द्वारा क्रय की गई थी जिसका दिनांक 7.06.1985 को परिशोधन से नामा0 तस्दीक हो चुका है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त आराजी के खसरा नंबर 1577 है। यह आराजी प्रार्थी संख्या 1 के पिता अमीरद्धीन उर्फ हमीरूद्दीन पुत्र अब्दुला व अल्लाद्दीन पुत्र अब्दुला ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1968 को खरीद की है तब से ही निरन्तर अल्लादीन व अमीरद्धीन उर्फ हमीरूद्दीन का कब्जा चला आ रहा था। क्रेता की मृत्यु के पश्चात वारिसान प्रार्थीगण का हक व कब्जा चला रहा है श्री अलाद्दीन नाऔलाद फौत हो चुके है। श्री अमीरूद्दीन उर्फ हमीरूद्दीन के वारिसान प्रार्थीगण है। इस आराजी पर निरंतर 51 वर्षो से प्रार्थीगण व उनके पिता व दादा का हक व कब्जा चला आ रहा है। और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है और प्रार्थीगण निरंतर उक्त आराजी पर काश्त कर फसल प्राप्त करते आ रहे है। इस वर्ष प्रार्थीगण ने उक्त आराजी मे जवार की फसल काश्त की है किन्तु अप्रार्थीगण आराजी पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है इस आशय से उन्होने प्रार्थीगण को दिनांक 22.09.19

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि वे उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करेगे। और प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करेगे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री रामाअवतार मीणा वकील ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया जिसमे बताया गया कि प्रार्थीगण ने मिथ्या कथनों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त आराजीयात पर शुरू से ही अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 का निरंतर बिना रोकटोक के कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं तथा वर्तमा जमाबंदी मे भी उपरोक्त आराजीयात अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण का कब्जा वाद वर्णित आराजीयात पर कभी भी नही रहा है। तथा कभी भी उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है। क्योंकि ना तो अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 के पूर्वजो ने कभी भी प्रार्थीगण या उनके पूर्वजो के विक्रय पत्र पंजीयन होना बताया तथा ना ही प्रार्थीगण या उनके पूर्वजो के पास उक्त कानूनी शुन्य और अवैध दस्तावेज लेकर आये है इस आराजीयात से प्रार्थीगण या किसी दीगर व्यक्ति को कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही हो सकता है। दिनांक 21.09.19 को प्रार्थीगण अपराधी आशय रखते हुए पूर्व नियोजित षड़यंत्र रचकर अप्रार्थीगण सख्या 2 लगायत 7 को वादवर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करने के लिए आये तब अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 प्रार्थीगण को बेदखल करने के लिए आये तब अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद माननीय न्यायालय मे अंतर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे पेश किया जो विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास प्रार्थीगण के पास कोई युक्तियुक्त वादकारण नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 को हैरान परेशान करने के लिए यह झूठा वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

मैने पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस सुनीं। प्रार्थीगण लायक वकील ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थीगण के दर्ज है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण सख्या 1 से 9 उनके हाली सीरी नोकर चाकर एजेण्ट रिश्तेदार आदि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थीगण के लायक वकील का कथन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात विक्रय पत्र दिनांक 18.03.68 से अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने प्रार्थीगण के पूर्वजों से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर ली है तथा विक्रय पत्र पंजीयन के बाद जमीन पर क्रेतागण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परिशोधन से भू प्रबन्ध विभाग मे इसका नामा0 भी क्रेतागण के नाम स्वीकार हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। मैने वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के रकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण अपना कब्जा काश्त होने संबधी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार तय करने हेतु अन्तिम निर्णायक नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हक अधिकार का प्रश्न बाद शहादत मूल वाद मे तय होगा प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है अत' प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक कब्जा काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद का हकदार है।अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा या दखलदाजी नहीं करे न ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे न ही प्रार्थीगण की आराजीयात पर जबरन कब्जा करे। अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करे। जिससे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति हो। प्रार्थीगण को भी पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात का मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का अन्तरण,बय रहन नहीं करे।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित).'
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.19 17:12:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: